



क्रमांक:- निसंशि/विसंबलयो/2022/-9070-77

दिनांक: 21-10-2022

विज्ञप्ति

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 6 (2) वित्त /साविलेनि/2021जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक: पं. 1(21)शिक्षा-6/2022 जयपुर, दिनांक 20.10.2022 के क्रम में विभाग के राजकीय संस्कृत विद्यालयों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षकों के पदों/योग्यतायें/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाये जाने वाले पद एवं योग्यताएं :-

क्र.सं.	पदनाम	योग्यता
1	प्राध्यापक, विद्यालय (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 (नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।
2	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 (नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।
3	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 (नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।
4	अध्यापक लेवल-1 (संस्कृत/सामान्य)	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 (नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।
5	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम-2015 (नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

नोट-

- 1 गैस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 2 विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त/निजी अभ्यर्थी लगाये जायेंगे।
- 3 सेवानिवृत्त शिक्षक गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाये जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा की बाध्यता नहीं होगी।
- 4 सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक की गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

(2) रिक्तियां-

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गैस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर आवश्यकता के आंकलन उपरान्त आवश्यकतानुसार ही लगाया जायेगा।



**(3) रिक्तियों का प्रकाशन-**

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन संबंधित विद्यालय/संकुल केन्द्र विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट [WWW.rajsanskrit.nic.in](http://WWW.rajsanskrit.nic.in) पर किया जायेगा। (संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा संकुलाधीन विद्यालयों सहित रिक्तियों का आंकलन कर संभागीय अधिकारी से अनुमोदन उपरान्त रिक्तियों का प्रकाशन किया जावेगा।)

**(4) आवेदन प्रक्रिया-**

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के संकुल केन्द्र पर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

**(5) वरीयता का निर्धारण-**

विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित संकुल केन्द्र प्रभारी (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़ कर किया जाएगा।

समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गैस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

**(6) परिवेदना प्रस्तुत करना-**

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित संभाग के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। संभाग स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ उपनिरीक्षक/उपनिरीक्षक	सदस्य
3	वरिष्ठ प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय	सदस्य
4	वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय	सदस्य

**(7) विद्या संबल योजना के तहत मानदेय :-**

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गैस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा-

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घंटा (60 मिनट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	अध्यापक लेवल-1 एवं 1A	1 से 8	300 रुपये	21000 रुपये
2	वरिष्ठ अध्यापक	9 से 10	350 रुपये	25000 रुपये
3	प्राध्यापक	11 से 12	400 रुपये	30000 रुपये
4	शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-11A	-	300 रुपये	21000 रुपये

**(8) अन्य शर्तें-**

1. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संबंधित संकुल केन्द्र प्रभारी (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गैस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
4. गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/ सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अधीन रखा जावेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
5. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित संकुल केन्द्र प्रभारी (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संबंधित संकुल केन्द्र प्रभारी (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

**(9) टाईम टेबिल -**

क्र.सं.	दिनांक	कार्यक्रम
1	दिनांक 03.11.2022	विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन
2	दिनांक 04.11.2022 से 07.11.2022 (विद्यालय समय में)	आवेदन करने की तिथि
3	दिनांक 09.11.2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची प्रकाशित करना (संकुल केन्द्र द्वारा)
4	दिनांक 10.11.2022	पात्रता की जांच करना वरीयता सूची बनाना (अस्थाई) एवं जारी करना
5	दिनांक 11.11.2022	आपत्तियां मांगना
6	दिनांक 14.11.2022	मूल दस्तावेजों की जांच करना
7	दिनांक 15.11.2022	अन्तिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई)
8	दिनांक 16.11.2022	आदेश जारी करना
9	दिनांक 21.11.2022	कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि

**संलग्न-**

1. आवेदन पत्र का प्रारूप।
2. शपथ पत्र का प्रारूप।
3. वित्त विभाग के परिपत्र की प्रति।

  
(डॉ० भास्कर शर्मा)  
निदेशक


संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



9070-77  
21-10-2022

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. उपशासन सचिव (शिक्षा ग्रुप-6) शासन सचिवालय जयपुर।
5. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी राजस्थान।
6. समस्त संकुल प्रभारी, राजस्थान।
7. वेबसाईट प्रभारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
21/10/22

(डॉ० शालिनी सक्सेना)  
संयुक्त निदेशक  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

## आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नाम:-
2. पिता का नाम:-
3. आवेदित विद्यालय का नाम:-
4. आवेदित पद का नाम:-
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि:-
6. जन्म तिथि:-
7. शैक्षणिक योग्यता: 1. प्रवेशिका / माध्यमिक वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-1  
2. वरिष्ठ उपाध्याय / उच्च माध्यमिक वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-2  
3. शास्त्री / स्नातक (विषय.....) वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-3  
4. आचार्य / अधिस्नातक (विषय.....) वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-4
8. प्रशैक्षणिक योग्यता:- 1. शिक्षा शास्त्री / बी.एड. / समकक्ष वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-5  
2. डी.एल.एड. / समकक्ष वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-6
9. वैध पात्रता परीक्षा(आवश्यकतानुसार)-रीट,उत्तीर्णता वर्ष.....प्रतिशत.....संलग्न-7
10. सेवानिवृत्त कार्मिक की स्थिति में पीपीओ नम्बर व सेवानिवृत्ति के समय पद..... संलग्न-8
11. निवास का पता:-
  1. स्थाई .....
  2. वर्तमान .....
12. मोबाईल नम्बर:-.....
13. जाति वर्ग.....प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न-9
14. अन्य(विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्ट्स पर्सन) संलग्न-10
15. मूलनिवास प्रमाण पत्र। संलग्न-11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) संलग्न-12 व 13

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची-संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ) व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर



प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
.....विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को  
गेस्ट फोकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....  
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित  
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)  
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को  
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं  
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख  
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन  
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,  
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं  
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे  
गैस्ट फोकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के  
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही  
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं  
करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार  
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/  
करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।



7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता





राजस्थान सरकार  
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फौकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फौकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फौकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फौकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फौकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फौकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गैस्ट फौकल्टी रख सकेंगे।

अथवा



7. गैरस्ट फ़ैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।




( डॉ. पूथ्वी )

शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकसचिव सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावै।
16. रक्षित पत्रायली।



(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)